भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1847
दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आदर्श शौचालयों के निर्माण के लिए भुगतान में विलंब

1847. श्री अमरा रामः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सीकर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता मिशन के अंतर्गत आदर्श शौचालयों के निर्माण हेतु सात वर्षों के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए उत्तरदायी प्राधिकारी कौन है; और
(ख) देश भर में स्वच्छ भारत मिशन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सीकर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में निर्मित आदर्श शौचालयों के लिए भुगतान संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा समय-सीमा के भीतर नहीं किया जा सका।

(ख) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] को 2 अक्टूबर, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच जाने को खत्म करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 2014 शुरू किया गया था। देश के सभी गांवों ने 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वयं को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया। एसबीएम (जी) के चरण-II को 2020-21 से 2025-26 की अवधि के दौरान खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने और सभी गांवों को ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन से कवर करने अर्थात गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस (मॉडल) में परिवर्तित करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। अब तक, 4,72,076 गांवों को ओडीएफ मॉडल गांवों के रूप में घोषित किया गया है।

*****